

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थागण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थागण एवं प्रत्यर्था विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	5228 / 2021 सुरेन्द्र सिंह नाथावत	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।	12.10.2021	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
2.	5500 / 2021 लोकेश कुमार नरुका	3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, टोंक।	18.10.2021	
3.	5659 / 2021 शफी मोहम्मद पठान	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था संख्या 1 से 2 3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, कोटा।	22.10.2021	
4.	5701 / 2021 हसन मियां	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था संख्या 1 से 2 3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।	25.10.2021	
5.	5703 / 2021 चिरंजी लाल वर्मा	4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, टोंक।		
6.	5782 / 2021 श्रीराम मीणा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था संख्या 1 से 2 3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, दौसा।	28.10.2021	
7.	5976 / 2021 रतन सिंह शेखावत	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था संख्या 1 से 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, जयपुर।	15.11.2021	
8.	5977 / 2021 रुकसान अली	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था संख्या 1 से 2 3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, पाली।		
9.	6197 / 2021 मुकेश कुमार कासट	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, अजमेर।	06.12.2021	
10.	6198 / 2021 रघुवीर प्रसाद शर्मा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, दौसा। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिदरख्या, लालसोट, जिला दौसा।		
11.	6199 / 2021 मोहन सिंह राजपुरोहित	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक मुख्यालय, बीकानेर। 5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर। 6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।		
12.	6265 / 2021 श्रीमती निशा बंसल	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था संख्या 1 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक मुख्यालय, अजमेर।	13.12.2021	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री जगन्नाथ खाण्डपा, राजकीय अधिवक्ता
13.	6266 / 2021 जगदीश लाल	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था संख्या 1 से 3 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।		
14.	217 / 2022 रमेश चन्द जाटव	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था संख्या 1 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, भरतपुर।	25.01.2022	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
15.	296 / 2022 सांवरमल सैनी	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था संख्या 1 से 2 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु संभाग, चूरु। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक मुख्यालय, झुंझुनू।	02.02.2022	

16.	309/2022 श्रीमती नीलिमा त्रिपाठी	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, पाली।	04.02.2022	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
17.	327/2022 अवधेश कुमार शर्मा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, सवाई माधोपुर।	08.02.2022	
18.	328/2022 अजय कुमार सक्सेना			
19.	329/2022 हरिओम गुप्ता			
20.	1023/2022 याद कुमार		22.03.2022	
21.	1235/2022 सुशीला सोनी	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक मुख्यालय, अजमेर।	08.04.2022	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री जगन्नाथ खाण्डपा, राजकीय अधिवक्ता
22.	1721/2022 भरतलाल शर्मा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, जयपुर।	24.05.2022	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
23.	1722/2022 संजय कुमार शर्मा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, भरतपुर।		
24.	1968/2022 रामप्रसाद राव	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग अजमेर।	14.06.2022	
25.	1969/2022 भागचन्द शर्मा	4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, टोंक।		
26.	2916/2022 श्याम सुन्दर सोनी	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, करौली।	04.08.2022	
27.	2968/2022 मोहन लाल शर्मा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, जयपुर।	05.08.2022	
28.	2969/2022 सीताराम नायक	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, नागौर। 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।		
29.	5945/2022 मंगल सिंह जाखड़	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 2. निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, जयपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मूण्डौती (सांभरलेक) जयपुर।	21.11.2022	
30.	1420/2023 सन्त कुमार शर्मा	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, झुंझुनू। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, (महात्मा गांधी) जीणी, जिला झुंझुनू। 5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।	12.05.2023	
31.	1477/2023 रमाकान्त शर्मा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, दौसा। 4. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मलारना, लवाण, जिला दौसा।	29.05.2023	
32.	2142/2023 विनोद कुमार गुप्ता	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, भरतपुर।	21.08.2023	
33.	2143/2023 श्रीमती छाया जैन	4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, डीग।		

आदेश की दिनांक

: 22.10.2024

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 5500/2021 लोकेश कुमार नरुका बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर शिक्षा विभाग में आदेश दिनांक 31.03.1993 को राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के तहत हुई थी और वह अधिशेष हो गया। अध्यापक ग्रेड-III के पद पर आदेश दिनांक 17.10.1997 को समायोजित किया गया (अनुलग्नक-3)। उनका कथन है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वेतनमान 4500-7000 (9ए) नहीं दिया गया जबकि वह अध्यापक ग्रेड-III के पद पर कार्य कर रहा है। अपीलार्थी को जब अध्यापक ग्रेड-III के पद पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा समायोजित किया गया तो वह अध्यापक ग्रेड-III का वेतनमान 4500-7000 (9ए) प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल विविध रिट याचिका संख्या 2458/2003 हरफूल सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.07.2009 द्वारा यह विवाद निर्णित किया जा चुका है एवं उक्त आदेश दिनांक 03.07.2009 के विरुद्ध दायर अपील भी डी.बी. रेस्टोरेशन संख्या 219/2019 राज्य व अन्य बनाम हरफूल सिंह व अन्य में पारित आदेश द्वारा खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार आदेश दिनांक 03.07.2009 अंतिम निर्णय हो चुका है (अनुलग्नक-5)। प्रत्यर्थी विभाग ने भी समान प्रकरणों में यह वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जा चुकी है, परन्तु अपीलार्थी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी भी अध्यापक ग्रेड-III का वेतनमान पाने का अधिकारी है। अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया और अपीलार्थी 27 वर्षीय सेवा पूर्ण कर चुका है। अधिकरण द्वारा भी इस तरह के कई समान मामलों में चयनित वेतनमान हेतु आदेश पारित किये गये हैं। अधिकरण ने अपील संख्या 18/2024 रूकसान अली बनाम शिक्षा विभाग में दिनांक 18.01.2024 को समान तथ्यों पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 07.08.1998 के अनुसार ग्रेड पे

4500–7000 (9ए) स्वीकृत किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। समान प्रकरणों में लाभ दिये गये, परन्तु अपीलार्थी को लाभ स्वीकृत नहीं करना अवैध, विभेदकारी, मनमाना एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही है।

अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे की अपीलार्थी को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड-III का वेतनमान 4500–7000 (9ए) सभी पारिणामिक लाभ सहित प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी और उसे अध्यापक ग्रेड-III के पद पर समायोजित किया जा चुका है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 01.07.2013 द्वारा उसकी शुरुआती बेसिक पे 2800 रुपए नियत की गई एवं उसे 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान क्रमशः ग्रेड पे 3600, 4200 एवं 4800 का लाभ दिया जा चुका है तथा माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 18506/2011 शंकर सिंह बनाम वित्त विभाग में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.08.1998 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 17.04.2013 के द्वारा उक्त अपील को खारिज किया जा चुका है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.08.1998 को यथावत रखा है। इस प्रकार अपीलार्थी कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब-उल-जवाब प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 07.08.1998 के अनुसार ही माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 2458/2003 हरफूल सिंह एवं अन्य में दिनांक 03.07.2009 को यह निर्धारित किया है कि प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक ग्रेड-III के पद पर समायोजित किये गये अध्यापकों के संबंध में अन्य अध्यापकों से भिन्न पे स्केल नहीं दी जा सकती है। प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक ग्रेड-III के पद पर समायोजित अध्यापक भी नियमित अध्यापकों के समान ही पे स्केल 4500–7000 (9ए) प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में

डी.बी. स्पेशल अपील/डी.बी.रिट रस्टोरेशन संख्या 219/2019 प्रस्तुत की, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.08.2019 को राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.07.2009 को यथावत रखा गया तथा उसके पश्चात् राज्य सरकार ने उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर नहीं करने का निर्णय लिया तथा हरफूल सिंह के साथ में अन्य 17 कार्मिकों को उक्त लाभ दिया जा चुका है तथा माननीय अधिकरण की चलपीठ जोधपुर ने अपील संख्या 44/2024 अशोक कुमार एवं अन्य बनाम सरकार माध्यमिक शिक्षा में दिनांक 08.02.2024 को तथा अपील संख्या 18/2024 रूकसान अली बनाम माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रत्यर्थी विभाग की उपस्थिति में दिनांक 08.02.2024 को अपील को स्वीकार करते हुये अपीलार्थी के समान कार्मिकों को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 07.08.1998 के तहत वेतनमान 4500-7000 (9ए) स्वीकृत करने के आदेश जारी किये हैं तथा माननीय अधिकरण के उक्त निर्णय पर आज तक माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश जारी नहीं हुआ है। इसलिये अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 31.03.1993 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक तृतीय वेतन श्रृंखला के पद पर हुई थी। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 08.10.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक ग्रेड-III के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया। अपीलार्थी का अध्यापक ग्रेड-III के पद पर समायोजन आदेश दिनांक 17.10.1997 (अनुलग्नक-3) के द्वारा किया गया। अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 से अध्यापक ग्रेड-III को नई वेतन श्रृंखला 4500-7000 (9ए) स्वीकृत की गई है। परन्तु अपीलार्थी को इसका लाभ नहीं दिया जाना पाया जाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने हरफूल सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 2458/2003) में आदेश दिनांक 03.07.2009 (अनुलग्नक-3) द्वारा यह निर्णित किया गया है कि :-

"I considered the submissions of learned counsel for the parties and perused the notification dated 7.8.1998 by which a new pay scale no.9A has been inserted and it has been clearly

mentioned that this new pay scale 9A is to be inserted below pay scale 9. Therefore, the contention of the petitioners that there exist no pay scale 9 is not sustainable. However, the petitioners are admittedly appointed on the post of teacher grade-III and there is only one pay scale for teacher grade-III and that pay scale is 9A as is clear from notification dated 7.8.1998 whereby for teacher grade-III, the pay scale has been increased from 4000-600(9) to Rs.4500-7000(9A) and respondents failed to show that there can be two pay scales for teacher grade- III and that is on the basis of the source of appointment.

In view of the above reasons, the writ petition of the petitioners is allowed and it is held that petitioners are entitled to the pay scale of Rs.4500-7000 (9A) in view of notification dated 7.8.1998 irrespective of the fact that there exist pay scale no.9. The petitioner be granted all the consequential benefits in the light of this decision within a period of three months from today."

उक्त याचिका के तथ्य प्रस्तुत अपील के समान ही हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई एवं उसे बाद में अधिशेष होने पर अध्यापक ग्रेड-III के पद के विरुद्ध समायोजित किया गया था। उक्त याचिका में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2009 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा DB writ restoration No. 219/2017 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01.08.2019 द्वारा खारिज की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 05.03.2020 के विरुद्ध एसएलपी दायर नहीं करने का निर्णय किया गया है। अधिकरण द्वारा भी समान प्रकरणों में अपील संख्या 44/2024 अशोक कुमार बनाम माध्यमिक शिक्षा में तथा अपील संख्या 18/2024 रूकसान अली बनाम माध्यमिक शिक्षा में दिनांक 08.02.2024 को समान प्रकरणों में अध्यापक ग्रेड-III के अनुसार पे स्केल/एसीपी का लाभ दिये जाने हेतु आदेशित किया है तथा अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 पर माननीय उच्च न्यायालय का आज तक कोई स्थगन आदेश जारी नहीं हुआ है। इसलिये अपीलार्थी भी उक्त समान तथ्यों पर लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती हैं एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थीगण को अध्यापक ग्रेड-III हेतु निर्धारित वेतनमान 4500-7000 (9ए) स्वीकृत किया जावे तथा उक्तानुसार अन्य लाभ नियमानुसार दिये जावें।

मूल आदेश अपील संख्या 5500/2021 लोकेश कुमार नरुका बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष